# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 48/2021 दायर दिनांकः 16.08.2021

उनवान

1. जमनालाल पि. नारान जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
2. कालूलाल पि. नारान जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
3. रमेशचन्द्र पि. नारान जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
4. राजेन्द्र प्रसाद पि. नारान जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पि. कल्याण जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
2. प्रकाश पि. कल्याण जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
3. रामदयाल पि. कल्याण जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
4. रामविलास पि. कल्याण जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल
6. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुनेल

–प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 रा.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट**

उपस्थिति –
वकील वादीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील प्रतिवादी सं. 1 से 4 – एकतरफा

**निर्णय** दिनांक : 25.02.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम पेटभर पटवार हल्का गुणदी तहसील सुनेल जिला झालावाड़ में निम्न आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार खाता सं० नया 158 पुराना 135 खसरा नं० 134 रकबा 2.1878 हेक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे सहखातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण है। वादी का प्रत्येक का दर्ज भाग 1/16 है तथा प्रतिवादी न. 6 के यहाँ सभी वादीगण का हक हिस्सा भाग रहन कारत है। यह कि खसरा न 134 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 के अनुसाक 1/2 भाग रामदयाल, प्रकाश, चुन्नीलाल पिता कल्याण तथा 1/2 भाग नारायणीबाई पत्नी नारान के खातेदारी में रही है। राजस्व रिकार्ड में 1/2 का अंकन नहीं रहा है। यह कि दिनांक 12.08.1991

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

को आराजी खसरा न 134 के खातेदार नारान पिता हरलाल जाति मीणा ने अपनी सम्पूर्ण आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भाग को किमतन राशी 24000/– रु प्राप्त कर रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा में से सम्पूर्ण हिस्सा का बैचान खरीददार बदस्त नारानीबाई पत्नि नारायण जाति मीणा निवासी पेटभर को बैचान कर कब्जा दिया है। वक्त खरीद से ही खरीददार नारानीबाई जो कि वादीगण की माता है। उनका निरन्तर कब्जा 1/2 भाग पर चला आ रहा है। नारानीबाई का स्वर्गवास हो गया है। उनका मृत्यु पश्चात् फौती इन्तकाल (विरासत इन्तकाल) नामान्तरकरण से आराजी राजस्व रिकार्ड में नारानीबाई के वारीसान पुत्रो (वादीगण) का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है। मौके पर भूमि 8 बीघा 13 बिस्वा में आधा भाग दक्षिण दिशा का वादीगण के कब्जे, काश्त में वक्त खरीद से ही है जिस पर वादीगण काश्त करते हैं। तथा 1/2 आधा भाग पर प्रतिवादीगण काश्त करते हैं।

(ए) यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 के अनुसार खातेदारी में नारानी बाई का हिस्सा भाग दर्ज नहीं होकर समान दर्ज रहा है।

(बी) जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 के अनुसार खातेदारी में नारानी बाई का हिस्सा समान दर्ज रहा है तथा विरासत इन्तकाल सं 337 के अनुसार भी नारानी बाई (मृतक) के स्थान पर उनके वारीसान का नाम दर्ज हुआ है।

(सी) यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का हिस्सा भाग 3/4 दर्ज किया तथा वादीगण का हिस्सा मात्र 1/4 दर्ज किया है। यह प्रविष्ठि हिस्सा भाग कि गलत है क्योंकि नारानीबाई पत्नी नारायण का हिस्सा सम्पूर्ण रकबा भूमि 8 बीघा 13 बिस्वा में 1/2 भाग है तथा यही 1/2 भाग वादीगण की माता द्वारा पूर्व खातेदार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। इस गलत प्रविष्ठि को दर्ज करने का सक्षम आदेश नहीं है। यह प्रविष्ठि राजस्व कर्मचारीयों द्वारा मनमाने तरीके से की है जिसका अधिकार राजस्व कर्मचारीयों को नहीं रहा है। इस दुषित प्रविष्ठि के कारण वादीगण अपने हक हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 दर्ज होने से हितों पर कुठाराधात है तथा वादीगण को भारी क्षति कारीत हो रही है। यह कि जमाबन्दी सम्वत् [illegible] 2076 वर्तमान में यह हिस्सा भाग दर्ज होकर वादी[illegible] जो गलत है। वादीगण 1/2 के आधार [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जिसे त्रुटित प्रक्रिया से 1/16 दर्ज किया गया है। यह हक हिस्सा भाग 1/16 के स्थान पर 1/8 दर्ज होना है तथा इस प्रविष्टि के आधार पर हि सहखातेदार प्रतिवादीगण का हक हिस्सा भी दर्ज होना है। यह कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का हिस्सा माता के जीवनकाल से ही 1/2 है तथा उनकी मृत्यु पर विरासत इन्तकाल दर्ज होने पर 1/8 प्रत्येक का है परन्तु राजस्व रिकार्ड में 1/16 दर्ज होने से वादीगण के हक हिस्सा अधिकारी पर राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा कार्य मे उदासीनता के चलते नुकसान हानि कारित की है। इस कारण वादीगण को माननीय न्यायालय की शरण में वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। यह कि राजस्व कर्मचारियों की गलतीयों का खामियाजा वादीगण को उठाना पड़ रहा है। आज वादीगण अपने हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन दर्ज करवाने की पात्रता रखते हैं। यह कि वाद कारण लगभग 3 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने समस्त राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तथा राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह त्रुटि भूल राजस्व कर्मचारीयों की रोशनी में आई। इसे शुद्ध करने के लिए वादीगण ने तहसीलदार सुनेल से आग्रह किया तथा उन्होने माननीय न्यायालय में दावा पेश करने का औचित्य बताया यही वाद कारण रहा है। यह कि राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार होने से उसे तथा बैंक रहन भूमि होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि माननीय न्यायालय को वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि वादपत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि वादीगण वादपत्र पेश कर प्रार्थना करते हे कि –

(अ) बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी हक हिस्सा की जाकर घोषणा की जाये कि वादीगण हिस्सा 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 है तथा यह शुद्धि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे।

(ब) स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्सा भाग पर बेजामदाखलत, मजाहमत नहीं करें, शान्तिपूर्वक काश्त में रोक अवरोध उत्पन्न नहीं करें।

(स) अन्य न्यायोचित्र राहत जो भी वादीगण के पक्ष [illegible] हो माननीय न्यायालय द्वारा जारी की जावे।

(द) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 29.03.2022 को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पेटभर का नामा.सं. 337 दिनांक 27.02.2012 प्रदर्श 1, ग्राम पेटभर के खाता सं. 103, 119, 135, 158 जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल छायाप्रति, खाता सं. 103 जमाबंदी सं. 2061–64 प्रदर्श 2, खाता सं. 105 जमाबंदी सं. 2057–60 प्रदर्श 3, रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 12.08.1991 प्रदर्श 4, नामा.सं. 133 दिनांक 17.08.1991 प्रदर्श 5, नामा.सं. 128 दिनांक 31.05.1990, खाता सं. 84 जमाबंदी सं. 2049–52 प्रदर्श 6, खाता सं. 39 जमाबंदी सं. 2045–48 प्रदर्श 7 तथा जमनालाल, कालूलाल, रमेशचन्द, राजेन्द्र प्रसाद के आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की एवं मौखिक साक्ष्य में कालूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, जमनालाल व द्वारकीलाल PW 1 To PW 4 के शपथ पत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि जमाबंदी सं. 2057–60 में ग्राम पेटभर तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 134 रकबा 8–13 बीघा भूमि रामदयाल, प्रकाश, चुन्नीलाल पिस. कल्याण हि. 1/2 एवं नारानीबाई पत्नि नारान जाति मीणा हि. 1/2 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी और मौके पर भी दोनो पक्ष 1/2–1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त चले आ रहे थे लेकिन राजस्व कार्मिको द्वारा जमाबंदी मे हिस्से का अंकन नहीं किया गया था। इसी प्रकार अगली चौसाला सं. 2061–64 में भी राजस्व कार्मिको द्वारा जमाबंदी में दोनो पक्षों के हिस्सो का अंकन नहीं किया गया लेकिन उक्त जमाबंदी में अंकित नोट के अनुसार नामा.सं. 273 दिनांक 02.02.2008 से प्रकाशचन्द, चुन्नीलाल पिस. कल्याण के हिस्से 2/6 पर बैंक के पक्ष में रहन दर्ज हुआ था। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में कल्या[illegible] प्रकाशचन्द व चुन्नीलाल का हिस्सा 1/6–1/6 [illegible] हिस्सा 1/2 निहित था। इसी प्रकार वादग्र[illegible]–68

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

में भी प्रकाशचन्द व चुन्नीलाल का हिस्सा 1/3 अंकित है लेकिन सं. 2069–72 की जमाबंदी तैयार करते समय राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के कल्याण के वारीसान का हिस्सा 3/4 एवं नारानीबाई के वारीसान का हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध होने से खारीज योग्य है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि सं. 2045–48 मेंवादग्रस्त आराजी खनं. 134 नारान पि. हरलाल, सीताबाई बेवा हरलाल एवं देवलाल पि. भगवान जाति मीणा के हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड थी अर्थात हरलाल के वारीसान का हिस्सा 1/2 एवं देवलाल का हिस्सा 1/2 निहित था। देवलाल पि. हरलाल ने अपने हिस्से 1/2 का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1990 से रामदयाल, प्रकाश व चुन्नीलाल पिस. कल्याण को किया गया जिसका नामा.सं. 128 दिनांक 31.05.1990 दर्ज हुआ था लेकिन उक्त नामान्तरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय हिस्सा बराबर अंकित नहीं किया गया। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा वादीगण एवं वादीगण की मां नारानीबाई को सुने बिना और बिना विधिक आदेश के वादीगण की मां के हिस्से को 1/2 से कम करके 1/4 अंकित करना प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरूद्ध होने से खारीज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 4/16 के स्थान 4/8 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश ग्राम पेटभर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 134 रकबा 8–13 बीघा की जमाबंदी सं. 2045–48 प्रदर्श 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खनं. 134 नारान पि. हरलाल, सीताबाई बेवा हरलाल एवं देवलाल पि. भगवान जाति मीणा के हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड थी अर्थात हरलाल के वारीसान का हिस्सा 1/2 एवं देवलाल का हिस्सा 1/2 निहित था। ग्राम पेटभर के नामा.सं. 128 दिनांक 31.05.1990 की पंजिका के कालम सं. 5 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में नारान पि. हरलाल, सीताबाई बेवा हरलाल एवं देवलाल पि. भगवान जाति मीणा के हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड था। नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 14 से 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि देवलाल पि. भगवान जाति मीणा ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पेटभर की शामलाती आराजी ख.नं. 134 रकबा 8—13 बीघा में अपने हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1990 से रामदयाल, प्रकाश व चुन्नीलाल पिस. कल्याण को किया गया। वादीगण द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1990 प्रदर्श 4 की पंक्ति सं. 7, 11, 17, 25 व 28 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 134 में नारान पि. हरलाल जाति मीणा का हिस्सा व कब्जा 1/2 भाग पर था जिसका बेचान नारानीबाई पत्नि नारान जाति मीणा को कर कब्जा सौपा गया था जिसका नामा.सं. 133 दिनांक 17.08.1991 दर्ज किया गया। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 134 में नारानीबाई पत्नि नारान का हिस्सा 1/2 निहित था। वादीगण द्वारा पेश जमाबंदी सं. 2061—64 में अंकित नामा.सं. 273 दिनांक 02.02.2008 के नोट से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण रामदयाल, प्रकाश व चुन्नीलाल पिस. कल्याण का हिस्सा 1/6—1/6 कुल हिस्सा 3/6 यानि 1/2 दर्ज रिकार्ड था। ग्राम पेटभर की जमाबंदी सं. 2065—68 के अनुसार भी प्रतिवादीगण रामदयाल, प्रकाश व चुन्नीलाल पिस. कल्याण का हिस्सा 1/6—1/6 कुल हिस्सा 3/6 यानि 1/2 दर्ज रिकार्ड था लेकिन सं. 2069—72 की चौसाला जमाबंदी तैयार करते समय प्रतिवादी रामदयाल, प्रकाश व चुन्नीलाल पिस. कल्याण का कुल हिस्सा 3/4 एवं नारानीबाई के वारीसान/वादीगण का हिस्सा 1/4 अंकित किया गया। वादग्रस्त आराजी में राजस्व कार्मिको द्वारा प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 3/4 और वादीगण का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 किस आधार/आदेश से किया गया— के संबंध में कोई भी दस्तावेज जमाबंदी व नामान्तरण पंजिका पर उपलब्ध नहीं है। **राजस्व कार्मिको को बिना किसी सक्षम विधिक आदेश के किसी भी खातेदार की मूल प्रविष्टि में परिवर्तन करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। राजस्व कार्मिको को किसी काश्तकार के खातेदारी अधिकारो का अपशमन और न्यूनीकरण करने का अधिकार नहीं है, केवल सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा ही खातेदारी अधिकारो में विधिवत प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है।** अतः राजस्व कार्मिको द्वारा सं. 2069—72 की जमाबंदी में बिना किसी सक्षम विधिक आदेश के और वादीगण को सुने बिना प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 3/4 और वादीगण का हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

करना प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं प्रभावशून्य है। वादीगण द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबंदी सं. 2073–76 में वादीगण का 1/16–1/16 कुल हिस्सा 1/4 दर्ज है जो दुरूस्त किया जाकर 1/8–1/8 यानि कुल 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने योग्य है।

6. वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहान पीडब्ल्यू 1 से 4 के सशपथ बयानों के अवलोकन से भी जाहिर है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 पर पहले नारानीबाई पत्नि नारान का और उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारीसान/वादीगण का निरन्तर व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहकर अपने पक्ष में कोई भी जवाब/साक्ष्य/बहस पेश नहीं करना भी प्रथम दृष्टया वादीगण के अनुतोष को समर्थित करता है।

7. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम पेटभर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 134 रकबा 2.1878 है. भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

**–::क्रियात्मक आदेश::–**

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम पेटभर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 134 रकबा 2.1878 है. भूमि वादीगण (प्रत्येक) को हिस्से 1/16–1/16 के स्थान पर 1/8–1/8 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 (प्रत्येक) का हिस्सा तदानुसार कम दर्ज किया जावे। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

25/2/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 48/2021 दायर दिनांकः 16.08.2021

उनवान

1. जमनालाल पि. नारान जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
2. कालूलाल पि. नारान जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
3. रमेशचन्द्र पि. नारान जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
4. राजेन्द्र प्रसाद पि. नारान जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पि. कल्याण जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
2. प्रकाश पि. कल्याण जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
3. रामदयाल पि. कल्याण जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
4. रामविलास पि. कल्याण जाति मीना नि. पेटभर तहसील सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल
6. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुनेल

—प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 रा.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट**

उपस्थिति —

वकील वादीगण — श्री हुकुमचन्द कुमावत

वकील प्रतिवादी सं. 1 से 4 — एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम पेटभर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 134 रकबा 2.1878 है. भूमि वादीगण (प्रत्येक) को हिस्से 1/16—1/16 के स्थान पर 1/8—1/8 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 (प्रत्येक) का हिस्सा तदानुसार कम दर्ज किया जावे। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

25/7/25

(दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निज ..........X.......... मुबालिक ..........X.......... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह .. ..X.......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..........X.......... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.02.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा,
जिला झालावाड़ राज0।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

| मुदई | | मुदालयह | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मु0 |
| महन्ताना वकील | मु0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner